

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या :- FP/CG/ROAD/122482/2021

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग कोरबा द्वारा उरगा-पथलगाँव मार्ग का चार लेन चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य हेतु कोरबा वनमण्डल के वन परिक्षेत्र कोरबा, करतला एवं कुदमुरा के अंतर्गत रकबा 77.3042 हे. प्रस्तावित है।
I	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
II	जिला	कोरबा
III	वन प्रभाग	कोरबा
IV	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है	77.3042 हे.
V	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित, नारंगी एवं राजस्व वन भूमि
VI	हरियाली का घनत्व	0.4 से 0.7 एवं इको क्लास-I
VII	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.-2 मी. परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाए।	प्रजातिवार वृक्षों का स्थानीय एवं वैज्ञानिक नाम की सूची एवं परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना संलग्न है।
VIII	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी	वन क्षेत्र प्रत्यावर्तित होने से शेष वन भूमि पर किसी भी प्रकार का भू-क्षरण संबंधी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रस्तावित क्षेत्र महत्वपूर्ण या गम्भीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है।
IX	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी.	वनेतर भूमि वन सीमा के अंदर है।
X	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वर्ल्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	प्रस्तावित वन क्षेत्र किसी भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग नहीं है।
XI	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	इस क्षेत्र में दहिमन, बीजा, सलई आदि वनस्पति एवं तेन्दूआ, पैंगोलिन, वन बिलाव, चितल, किंग कोबरा आदि प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है।
XII	क्या कोई सुरक्षित पुरात्त्ववीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से	कोई भी सुरक्षित पुरात्त्ववीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक प्रस्तावित वन क्षेत्र में स्थित नहीं है। वचन पत्र संलग्न हैं।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरो सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। प्रयोक्ता अभिकरण का प्रमाण पत्र एवं जाँचे गये तुलनात्मक विवरण ब्यौरा संलग्न हैं।

9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया गया है।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
I	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण वनमण्डल बलौदा बाजार में प्रस्तावित है।
II	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण वनमण्डल बलौदा बाजार में प्रस्तावित है।
III	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	लागु नहीं।
IV	प्रतिपूरक वनीकरण रकीग के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	लागु नहीं।
V	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	लागु नहीं।
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (11,12) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	
I	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	2820 वर्ग कि.मी.
II	जिले का वनक्षेत्र	2136.47 वर्ग कि.मी.
III	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वने क्षेत्र।	संख्या - 19, रकबा - 1099.452 हे.
	(क) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
	(ख) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।	2779.096 हेक्टेयर
	(ग) वनेत्तर भूमि पर।	20 हेक्टेयर
IV	2015-2016 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :-	
	क. वनभूमि पर	2779.096 हेक्टेयर
	ख. वनेत्तर भूमि पर	20 हेक्टेयर
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	Recommended

दिनांक : 27/7/23
स्थान : कोरबा

अरविंद पी.एम., भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
कोरबा वनमण्डल कोरबा